Employment in small cottage industries in India – problem and government efforts

Prof. Yudhveer Singh
Prof. Navita S. Kumar

भारत में लघु कुटीर उद्योगों में रोजगार– समस्या एवं सरकारी प्रयास

प्रो0 युद्धवीर सिंह*
प्रो0 नविता एस0 कुमार**

सारांश–
सकल घरेलू उत्पाद में भारत का योगदान महत्वपूर्ण है यह क्षेत्र आम जन को रोजगार प्रदान करने व उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में अग्रणी है। लघु व कुटीर उद्योग के माध्यम से हम भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में भी रोजगार सृजित कर सकते हैं। सरकार द्वारा चलाई गई स्किल इंडिया मुहिम को इससे जोड़कर व विभिन्न योजनाओं द्वारा पोषित करके स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके अपने गृह क्षेत्र में ही लोगों को रोजगार मिलेगा।

कुटीर उद्योग परंपरागत उद्योग है इनमें कम पूंजी लगती है तथा घर के सदस्यों द्वारा ही वस्तुएं बना ली जाती हैं । लघु उद्योग इकाई ऐसा औद्योगिक उपक्रम है जहां सयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 1 करोड रुपए से अधिक हो किंतु कुछ मद जैसे हौजरी, हस्त–औजार, दवाई, औषधि, लेखन–सामग्री व खेलकूद के सामान आदि के लिए निवेश की सीमा 5 करोड़ तक है। सरकार लघु उद्दम हेतु ऋण उपलब्ध करा रही है इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल रही है वह बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है।
शब्द संकेत– उद्योग, इकाइयां, राष्ट्रीय आय, उत्पादन, श्रम–शक्ति, रोजगार ।

प्रस्तावना –
प्राचीन काल से ही भारत में कुटीर व लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ग्रामोद्योग के उत्पादों का देश–विदेश में निर्यात होता था किंतु औपनिवेशिक शासन में कुटीर व लघु उद्योगों का पतन हो गया। गांधी जी के विचारों के अनुसार लघु व कुटीर उद्योगों के बिना गांव व किसानों का विकास संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खादी ग्रामोद्योग पर जोर दिया, उन्होंने गांव को पुरातन हस्तशिल्प से जोड़ने पर बल दिया ताकि ग्रामीण अपनी जरूरत के लिए गांव पर ही निर्भर रहे। भारत के आर्थिक परिपेक्ष्य में इस क्षेत्र की रणनीतिक महत्व है। लगभग 90 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयां इसी क्षेत्र से संबंधित है। लघु व कुटीर उद्योगों में कम पूंजी निवेश करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है व साथ ही अधिक संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है । लघु कुटीर उद्योग आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को कम करके आप व संपत्ति की असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कुटीर उद्योग– कुटीर उद्योग वे उद्योग है जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है ना कि किसी कारखाने में । इसमें कम पूंजी लगती है, मुख्य रूप से परिवार सदस्य ही कार्यरत होते हैं।

लघु उद्योग– लघु उद्योग वे उद्योग है जो विनिर्माण, उत्पादन व सेवाओं के प्रतिपादन में छोटे पैमाने पर किए जाते हैं। निवेश की सीमा 5 करोड रुपए तक है। लघु उद्योग में बाहर के श्रम का उपयोग किया जाता है जबकि कुटीर उद्योग में पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। लघु उद्योग आधुनिक व पारंपरिक तकनीकों पर निर्भर करते हैं । सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम 2006, 2015, 2018 के प्रावधान के अनुसार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है।

MSMEs का वर्गीकरण

Table 1: A comparison of criteria used for defining MSMEs

	2006 Act		**2015 Bill**		**2018 Bill**	**Cabinet (June 2020)**
Criteria	Investment		Investment		Turnover	Investment and Turnover
Type	Manufacturing	Services	Manufacturing	Services	Both	Both
Micro	Up to Rs.25 Lakh	Up to Rs.10 Lakh	Up to Rs.50 Lakh	Up to Rs.20 Lakh	Up to Rs. 5 crore	Invest: upto Rs 1 crore Turnover: upto Rs 5 crore
Small	Rs.25 lakh to Rs.5 crore	Rs.10 lakh to Rs.2 crore	Rs.50 lakh to Rs.10 crore	Rs.20 lakh to Rs.5 crore	Rs. 5 crore to Rs.75 crore	Invest: Rs 1 crore to Rs 10 crore Turnover: Rs 5 crore to Rs 50 crore
Medium	Rs.5 crore to Rs.10 crore	Rs.2 crore to Rs. 5 crore	Rs.10 crore to Rs.30 crore	Rs. 5 crore to Rs. 15crore	Rs. 75 crore to Rs.250 crore	Invest: Rs 10 crore to Rs 50 crore Turnover: Rs 50 crore to Rs 250 crore

Sources: MSME Development 2006 act, MSME Development Amendment Bills 2015 and 2018, PIB update on cabinet approval; PRS.

01 जून 2020 को कैबिनेट बैठक के अनुसार–

लघु व कुटीर उद्योग पूंजी प्रधान न होकर श्रम प्रधान होते हैं । कुछ उद्योगों में बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है जैसे बीड़ी बनाना, रस्सी और टोकरी बनाना आदि। भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात धीरे–धीरे बढ़ रहा है, अनेक कलात्मक वस्तुएं जो मशीनों द्वारा उत्पादित नहीं की जा सकती है जैसे हाथी दांत, संगमरमर, चंदन की लकड़ी आदि पर कलात्मक नमूने, उत्तम किस्म की हाथ की कढ़ाई आदि इसके लिए हस्त कौशल की आवश्यकता होती है।

महत्व– स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे केंद्रीय सरकार ने क्रमशः छोटे और भारी उद्योगों की स्थापना पर विशेष बल दिया है जिसके कारण लघु व कुटीर उद्योग शनैः–शनैः उपेक्षित होते चले गए हालांकि कुटीर उद्योगों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका क्योंकि इसके संचालन में निजी स्तर पर लोगों के प्रयास जुड़े थे और आज भी कुटीर उद्योग अन्य उद्योगों के समानांतर खड़े होकर अपनी उपयोगी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।

गांव, कस्बों तथा शहरों में आटा चक्की, तेल मिल, हथकरघा, रेशमी व खादी कपड़े, फसलों की कटाई बिनाई आदि विभिन्न कार्य कुटीर उद्योग के स्तर पर हो रहे हैं। दर्जी, बढ़ई, लोहार आदि के परंपरागत पेशे इसी श्रेणी में आते हैं। कुछ लोग छोटे स्तर पर धातु कर्म, चमड़े का काम, विभिन्न मशीनों के पुर्जे बनाने का काम, ईट बनाने का काम, कागज की थैली बनाने का काम आदि कर रहे हैं जो की आधुनिक कुटीर उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है।

पूर्व अध्ययनों का समीक्षा –

पूर्व अध्ययनों की समीक्षा के लिए विभिन्न आयाम द्वारा सम्पादित पुस्तकों, शोध आलेखों का अध्ययन किया गया जिसमें प्रमुख है

द्विवेदी राधेश्याम (2016) में अपनी पुस्तक "लघु उद्योग दिवस" "लेख विविध साहित्य" में उल्लेख किया है कि भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक विकास के लघु उद्योगों को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है।तकनीकी कुशलता व उद्योगों को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। तकनीकी कुशलता व उद्योगों में लगने वाली कच्ची सामग्री बाहर से मांग की जाती है। लघु उद्योग एवं औद्योगिक उपक्रम है जिनमे मशीनरी निवेश संपत्ति होती है। यह निवेश सीमा सरकार द्वारा समय–समय पर बदलती रहती है।

वेंकटेश व मुथैया 2012 ने अपने अध्ययन में पाया कि लघु उद्योग रोजगार के साथ–साथ निर्यात में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है तथा सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में भी सहायक सिद्ध होता है।

दीक्षित एवं पांडे (2011) में अपने अध्ययन में पाया कि 1973 –74 से लेकर वर्ष 2006–07 तक लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों का योगदान निर्यात, रोजगार एवं सकल उत्पाद की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है अतः लघु एवं सच में उद्योगों का बढ़ावा देकर भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है।

शर्मा अशोक एवं कुमार (2011) ने अपने अध्ययन में पाया कि लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के विकास में कार्यरत पूंजी के उपलब्ध एवं उचित प्रबंधन सहायक सिद्ध होता है जो निर्यात एवं रोजगार सृजन में कारगर सिद्ध होता है।

अध्ययन का उद्देश्य –

इस अध्ययन के आधार पर भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थिति का तथ्यपरक विश्लेषण करना।
इस अध्ययन के अनुसार कुटीर व लघु उद्योगों की मुख्य समस्याओं का अध्ययन करना।
इस अध्ययन के आधार पर भारत में लघु व कुटीर उद्योग के विकास के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन पद्धति –

यह शोध पत्र मुख्य रूप से विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक आलोचनात्मक पद्धति पर आधारित है। वर्तमान अध्ययन भारत में लघु व कुटीर उद्योगों की स्थिति के विविध पक्षों के अन्वेषण पर आधारित है। यह शोध पत्र मुख्य रूप से द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। इस अध्ययन का मूल स्रोत पत्र–पत्रिकाओं एवं दस्तावेज तथा विभिन्न विद्वानों द्वारा संपादित पुस्तकें हैं।

सूक्ष्म व लघु उद्योगों का वर्तमान वि लेशण –

ये उद्योग करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं ये उद्योग देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। उद्यम आधार के विस्तार के लिए लघु उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इन उद्योगों का विशेष महत्व है। स्थानीय स्तर के छोटे उद्योगों ने क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन में कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन कुटीर उद्योगों द्वारा ही कम पूंजी से रोजगार उपलब्ध कराये हैं। भारत की बड़ी श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने में इन उद्योगों का प्रमुख स्थान है । कुटीर व लघु उद्योगों की आवश्यकता देश की परंपरागत प्रतिभा व आत्मनिर्भरता की ओर जाने के लिए भी है।

देश में पंजीकृत तथा कार्यरत लघु औद्योगिक इकाइयों की गणना पहली बार 1972 में पूर्ण हुई थी जिसके अनुसार 1.40 लाख इकाइयों की गणना की गई थी। 15 वर्ष बाद 1988 में हुई गणना के अनुसार देश में 5. 82 लाख इकाइयां कार्यरत थी। इनसे वर्ष 1972 –73 में 16.53 लाख लोगों को रोजगार मिला जो वर्ष 1987 –88 में बढ़कर 36.66 लाख पहुंच गया। निर्यात के क्षेत्र में भी वृद्धि दर अधिक रही वर्ष 1972 –73 में 127 करोड रुपए का निर्यात किया गया जो कि वर्ष 1987 –88 में बढ़कर ₹ 2499 करोड का हो गया। एम०एस०एम०ई० मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2012 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2010–11 में बढ़कर 311.52 लाख इकाइयां हो गई तथा 10,94,758 करोड रुपए का उत्पादन किया गया साथ ही 732.17 लाख लोगों को रोजगार भी मिला।

सन 2019 के नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार देश भर में कुल 6.33 करोड़ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम है। देश के 93% एम०एस०एम०ई० सूक्ष्म उद्योगों के श्रेणी में आते हैं इनमें से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल में है। यह दोनों प्रदेश अकेले ही ऐसे 28% उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सितंबर 2015 से जून 2020 के बीच 98.6 लाख उद्यमों ने यूआईडीएआई के साथ पंजीकरण कराया है। इस डेटासेट के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में एमएसएमई क्षेत्र का क्रमशः 87.7%, 11.8% और 0.5% शामिल है।

Table 2: Number of MSMEs in the Country (in Lakhs)

	Micro	**Small**	**Medium**	**Total**	**% Share**
Rural	324.09	0.78	0.01	324.88	51%
Urban	306.43	2.53	0.04	309.00	49%
All	**630.52**	**3.31**	**0.05**	**633.88**	

Sources: 73rd Round, National Sample Survey, 2015-16, MOSPI; PRS.

सामाजिक आर्थिक न्याय को देश में सुनिश्चित करने के मामले में एम०एस०एम ई० का योगदान सर्वश्रेष्ठ है।

भारत के संपूर्ण सकल घरेलू उत्पाद में एम०एस०एम०ई० क्षेत्र का योगदान 37.5 प्रतिशत है। देश भर में फैले हुए गुमनाम एम०एस०एम०ई० उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में 1 .3 लाख करोड डॉलर का योगदान करते हैं। ग्रामीण विकास में इनका योगदान महत्वपूर्ण है।

6.33 करोड़ उद्यमों में से 51% भारत के ग्रामीण इलाकों में फैले हैं । शेष छोटी इकाइयां भी छोटे–छोटे शहरों में स्थापित है एवं उन शहरों के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका का निर्माण करते हैं। देश भर में फैले हुए करोड़ों सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में 20% इकाइयों का स्वामित्व महिलाओं के पास है। महिलाओं के लिए वास्तव में आर्थिक परिवर्तन इन्हीं सूक्ष्म व लघु उद्योगों द्वारा संभव हुआ है। भारत की जीडीपी में इनका योगदान लगभग 20% है।

एमएसएमई क्षेत्र में 2015–16 में करीब 11.1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला था। कृषि क्षेत्र के बाद यह क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता था। नियोजित व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या (35%) व्यापार गतिविधि में लगी हुई थी, इसके बाद विनिर्माण में लगे व्यक्तियों (32%) का स्थान था।

Table 3: Employment in MSMEs (in lakh) (2015-16)

	Micro	**Small**	**Medium**	**Total**	**% Share**
Rural	489.3	7.9	0.6	497.8	45%
Urban	586.9	24.1	1.2	612.1	55%
All	**1076.2**	**32.0**	**1.8**	**1109.9**	

Sources: 73rd Round, National Sample Survey, 2015-16, MOSPI; PRS.

डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिसटिक्स के अनुसार भारत के कुल निर्यात का 50% यानी आधा हिस्सा अकेले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों द्वारा होता है।

लघु व कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादित सामग्री –

कन्फेक्शनरी उद्योग, मोमबत्ती, चाट मसाला, डेयरी उद्योग, आइसक्रीम उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, लेखन सामग्री उद्योग, आयुर्वेदिक फार्मेसी, श्रृंगार प्रशासन उद्योग, डिटर्जेंट पाउडर, पापड़, अचार, रबड़ की हवाई चप्पल बनाना, पॉलीथिन शीट उपयोग, उद्योग पेपर, प्लास्टिक की थैलियां, तार से कीले बनाना, टिन के छोटे–छोटे डिब्बे – डिबिया, कॉर्नफ्लेक्स, खिलौने व गुड़िया उद्योग, ग्रीस उत्पादन, मच्छर भगाने की क्रीम, सॉस, जैम बनाना, होजरी उद्योग, रेडीमेड गारमेंट्स, स्विच व प्लग उद्योग, ड्राई सेल बैटरी, नट व बोल्ट उद्योग, सोप और ड्राई क्लीनर्स इंडस्ट्री, सेवई, चिप्स, वाइपर, पान मसाले गुटके, बीड़ी, तंबाकू घी, पनीर कत्था निर्माण, हथकरघा उद्योग, चमड़ा उत्पादन, कालीन बुनाई, रेशम बुनाई, कपास बुनाई, बांस शिल्प, बढ़ई गिरी, मिट्टी के बर्तन, चांदी के बर्तन आदि।

कुटीर उद्योगों में व्याप्त समस्याएं–

कुटीर व उद्योगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनमें से मुख्य समस्याएं इस प्रकार हैं –

कच्चे माल की सीमित उपलब्धता– कुटीर उद्योग ऐसे संसाधनों पर निर्भर रहते हैं जो समय के साथ कम होते जाते हैं या केवल विशिष्ट मौसम में ही उपलब्ध होते हैं। वित्तीय बाधाओं के कारण उन्हें संसाधन नहीं मिल पाते हैं।

विपणन समस्याएं – किसी व्यवसाय के विकास में मार्केटिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मार्केटिंग में विज्ञापन, सोशल मीडिया, समाचार पत्र, पंपलेट आदि के माध्यम से व्यवसाय को बढ़ावा देना शामिल है। छोटे व्यवसावों को आमतौर पर ब्रांडिंग व मार्केटिंग की समस्याएं होती हैं क्योंकि उन्हें एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाने के लिए अधिक धन व विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है।

प्रति स्पर्धा की समस्या – नई औद्योगिक नीति 1991 के पश्चात लघु उद्योग क्षेत्र को और अधिक उदार बनाया गया है जैसे औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति, उत्पादन के आरक्षण में कमी, देसी व विदेशी उद्योगों के साथ प्रत्यक्ष स्पर्धा को प्रोत्साहन, प्रशुल्कों में कमी मात्रा, कम प्रतिबंधों को समाप्त करना इत्यादि से कई लघु उद्योग इकाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । सबसे गंभीर खतरा चीन से आ रहे हैं सस्ते उत्पादों से जिनकी कीमत इतनी कम है कि घरेलू लघु उद्योगों के लिए अपना अस्तित्व बचना मुश्किल हो गया है।

श्रमिकों की कमी – यह उद्योग श्रम शक्ति पर निर्भर करते हैं और आमतौर पर स्थानीय प्रतिभाओं को रोजगार देते हैं कुशल श्रमिकों के शहरी क्षेत्र में प्रवास के कारण उन्हें उपयुक्त श्रमिक मिलने में कठिनाई होती है। असुरक्षित कार्य स्थितियो, कम मजदूरी, ग्रामीण स्थान और लंबे समय तक कार्य करने के कारण उन्हें श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

पुराने मशीनरी व उपकरण– इन उद्योगों के पास पूंजी की कमी के कारण यंत्र व उपकरण पुराने होते हैं, उनकी तकनीकी भी पुरानी होती है। लघु उद्योगों में ऐसे उपकरण लगे होते हैं जो प्रचलन से बाहर होते हैं इससे लागत बढ़ जाती है, लघु उद्योग इकाइयां समय, फैशन व रुचियो के अनुसार अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार नहीं कर पाते जिससे बाजार में मांग की कमी आती है।

अन्य समस्याएं– लघु उद्योगों को उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त कुछ अन्य समस्याएं भी हैं। प्रबंधकीय क्षमता का अभाव, सस्ती बिजली का उपलब्ध न होना, संगठित बाजार प्रणाली का ना होना, बाजार स्थित का पूर्ण ज्ञान, सरकार के सतत प्रयासों के बावजूद गुणवत्ता तथा श्रेणी में सुधार लाने व समरूपता बनाए रखने के बारे में जागृति नहीं लाई जा सकी है।

<u>रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास</u>

सरकार रोजगार सृजन व महिलाओं के को स्वालंबन प्रदान करने हेतु प्रयासरत है वर्ष 2008 में "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम" नामक एक राष्ट्र स्तरीय ऋण संबंधी सब्सिडी स्कीम शुरू की गई। कुटीर व लघु उद्योगों की समस्याओं को दूर करने के लिए रोजगार सृजन के लिए संबंधित योजना के साथ–साथ वित्तीय समस्याओं के निपटारन हेतु सरकार वित्तीय समावेश से संबंधित कार्यक्रम चला रही है। जिससे देश के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधा पहुंच सके इसके अतिरिक्त सरकार ने सूक्ष्म व लघु उद्योग को राहत उपलब्ध कराने के लिए "ऋण गारंटी निधि" की स्थापना की है। इसके माध्यम से उन लोगों की गारंटी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है जो उन्होंने प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति प्रतिज्ञा पूर्ण करने में असमर्थ हैं।

कच्चे माल की समस्या से निपटने के लिए हथकरघा जैसे उद्योग जहां बुनकरों को अच्छे यार्न नहीं मिल पाते सरकार मिल रेट प्राइस स्कीम चल रही है। जिसके तहत मिल प्राइस पर ही बुनकरों को यह उपलब्ध कराया जाते है। इसके अलावा परंपरागत उद्योगों के पुनः सृजन के लिए निधि स्कीम स्फूर्ति चलाई जा रही है। यह स्कीम उद्योगों को अधिक उत्पादक वह प्रतिस्पर्धी बनाने तथा ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के विचार से खादी, ग्रामोद्योग और कॉर्पोरेट क्षेत्र में पहचाने गए उद्योगों के पुनः सर्जन के लिए है।

कुटीर व लघु उद्योगों के लिए विभिन्न सरकारी संस्थाएं भी कार्य कर रही है जैसे नाबार्ड, सिडकी, ग्रामीण लघु उद्योग व्यवसाय विकास केंद्र (आर0एस0बी0डी0सी0), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, एन0सी0ई0पू0एस0 (असंगणित क्षेत्र के लिए), ग्रामीण एवं महिला विकास संगठन आदि।

इसके अतिरिक्त सरकार लघु उद्योगों को करो में छूट देती है व इसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर उत्पादन कर या इस प्रकार अन्य कर नहीं लगाए जाते है।

- सरकार ने लघु उद्योगों की निर्मित वस्तुओं के लिए विपणन संघ एवं समितियां भी बनाई है।
- लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल इस क्षेत्र के लिए सुरक्षित कर दिया गया है।

- सरकार द्वारा लघु उद्योगों की वस्तुओं को अपने विभागों के उपयोग के लिए प्राथमिकता दी जाती है ।
- इन उद्योगों के सामान विक्रय के लिए सरकार विभिन्न स्थानों पर समय–समय पर प्रदर्शनी भी लगती है।
- सिले हुए तैयार वस्त्रों से प्रतिबंध हटाया गया है।
- छोटे व्यापारीयों, दस्तकारो वह उद्यमियों आदिया को सहज सजावट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लघु उद्योग क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2023 से लागू की गई है।

निष्कर्ष: लघु व कुटीर उद्योग में कम पूंजी के निवेश से अधिक उत्पादन उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही आधिकारिक संख्या रूप में रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं। लघु व कुटीर उद्योग आर्थिक भाक्ति के केंद्रीकरण को कम करके आय व संपत्ति के असमानताओं को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

लघु व कुटीर उद्योग के विभिन्न आयामों को देखकर स्पष्ट है कि इनके माध्यम से हम भारत के द्वारा दूरदराज के क्षेत्र में सृजित कर सकते हैं। संतुलित क्षेत्रीय विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं एवं अंततः तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर सकते हैं। गांव–गांव तक लघु उद्योगों के प्रसार से हमारे अनुपयुक्त संसाधनों का भी अनुकुलतम उपयोग सम्भव होगा हो पाएगा। सरकार द्वारा चलाई गई स्किल इंडिया मुहिम को इससे जोड़ा जाए ताकि कुशल मानव संसाधन तैयार हो सके। हमें एक मिथक को दूर करने की आवश्यकता है कि लघु व बड़े उद्योग एक दूसरे के लिए नुकसानदायक हैं। वास्तव में हमें लघु उद्योगों को इस प्रकार विकसित करना चाहिए कि वह वृहद स्तरीय उद्योगों हेतु सहायक सिद्ध हो क्योंकि संतुलित विकास के लिए दोनों आवश्यक है। वास्तव में लघु– कुटीर उद्योगों को महत्व देकर ही ग्रामीण युवकों का शहरों की ओर पलायन रोका जा सकता है तभी भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा।

संदर्भ:

1. जगन्नाथ कुमार क यप, नेहा सिहं (2015) " लघु– कुटीर उद्योगों में रोजगार", कुरूक्षेत्र, अक्टूबर।
2. नितिन प्रधान (2018) " लघु– कुटीर उद्योग वर्तमान व भविश्य", कुरूक्षेत्र, अक्टूबर।
3. डॉ0 मदन कुमार (Feburary 2023) " भारत में लघु– कुटीर उद्योग की स्थिति – एक अनुपीलन" International Education & Research Journal (IERJ) vol. 9/Issue : 2 PP
4. जागरण समाचार (03 Nov 2022) " लघु व मध्यम उद्योगों का भारत की आर्थिकी में है व्यापक योगदान"।
5. अरूण कुमार पांडा (2017) " लघु– कुटीर उद्योगों का स ाक्तिकरण" योजना, नवम्वर।
6. सन्तोश कुमार दवाडे (2023) " आत्मनिर्भर भारत : कुटीर उद्योगों का योगदान", NJESR (www.njesr) Feb/Vol. 5/ Issue 02
7. https:// cleartax.in/s/cottage-industries-in-india
8. https://prsindia.org/theprsblog.
9. Sharma, A.K. & Kumar, S. (2011). Effect of Working Capital Management on Firm Profitability: Empirical Evidence from India. Global Business Review, 12(1), pp. 159- 173.
10. Dixit, A. and Pandey, A.K. (2011), “SMEs and Economic Growth in India: Co integration Analysis", The IUP Journal of Financial Economics, Vol. IX, No. 2, PP. 41-59
11. Venkatesh, S. and Muthiah, K. (2012), “SMEs in India: Importance and Contribution", Asian Journal of Management Research, Vol. 2, No. 2, pp.31-34.